15 (5) सीसीएस (सीसी एण्ड ए) नियम 1965 – नियम 14 (8) (क)–दोषी कर्मचारी की जांच अधिकारी के समक्ष अपने मामले के बचाव के लिए वकील नियुक्त करने की अनुमति लेने के संबंध में

अधोहस्ताक्षरी को उक्त विषय पर दिनांक 23.7.1984 के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के कायालय ज्ञापन संख्या 11012/7/83–स्था **(क)** का हवाला लेने का निर्देश हुआ है।

2. उद्योग मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि कार्मिक विभाग के कार्यालय ज्ञापन की विषयवस्तु एवं उपर वर्णित ए आर को अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन लोक उद्यमों के ध्यान में लाएं और उन्हें सलाह दे िकवे उक्त प्रावधानों को अपने प्रासंगिक सीडीए नियमावली में तदनुसार शामित करें!

केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965–नियम 14(8) (क) के संबंध में कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 23.7.1984 का कार्यालय ज्ञापन सं. 11012/7/83 स्था. (क) की प्रति दोषी कर्मचारी की जांच अधिकारी के समक्ष अपने मामले में बचाव के लिए वकील नियुक्त करने की अनुमति लेने के संबंध में अनुरोध

अधोहस्ताक्षरी को यह निदेश दिया गया है कि केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 के नियम 14(क) का अवलोकन करें जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ यह उपबंध है कि कोई भी दोषी सरकारी कर्मचारी, जिसके विरूद्ध बड़ी शास्ति लगाए जाने संबंध में अनुशासनिक कार्यवाहियां आरंभ की गई हैं, जांच अधिकारी के समक्ष अपनी ओर से मामला प्रस्तुत करने के लिए कोई वकील तब तक नियुक्त नहीं कर सकता जब तक कि अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा नियुक्त प्रस्तुतकर्ता अधिकारी कोई वकील न हो अथवा अनुशासनिक प्राधिकारी मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की अनुमति न दे दें। यह स्पष्ट किया जाता है कि जब अनुशासनिक प्राधिकारी की ओर से मामला केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के अभियोजन अधिकारी अथवा सरकारी विधि अधिकारी (जैसे कि विधि सलाहकार, कनिष्ठ विधि सलाहकार) द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा दोषी अधिकार के पक्ष में अपने विवेक का प्रयोग करने और किसी वकील द्वारा उसका प्रतिनिधित्व किए जाने की अनुमति देने के लिए स्पष्टतः उचित तथा पर्याप्त आधार है। ऐसे मामलों में विवेकाधिकार का प्रतिकूल प्रयोग किए जाने पर इस बात की संभावना रहेगी कि न्यायालय उसे मनमाना तथा दोषी सरकारी कर्मचारी के बचाव के प्रतिकूल माने।

2. वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि इस कार्यालय ज्ञापन की विषय–वस्तु को सभी अनुशासनिक प्राधिकारियों आदि की जानकारी में लाएं।

(बी पी ई का तारीख 21 अगस्त, 1984 का कार्यालय ज्ञापन सं. 15(34)/84– बी पी ई (जी एम)